न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

COURT FEE — INDIA — बीस रुपये — TWENTY RUPEES — CANCELLED

C.F-20

R. 2573-III/14

33
04/7/14

सीरा I

जनपद प्रसाद बैगा उम्र 48 वर्ष पिता स्व. बब्बू बैगा निवासी ग्राम नवगंवा तहसील मानपुर, जिला–उमरिया (म0प्र0)
.... निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती संगीता बाई उम्र 37 वर्ष पत्नी उमाशंकर पटेल निवासी ग्राम नवगंवा तहसील मानपुर, जिला–उमरिया (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर उमरिया जिला–उमरिया (म0प्र0) .... उत्तरवादीगण

श्री रमाकान्त द्विवेदी आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत 04/7/14

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
शहडोल संभाग

क्रमांक 2450
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक .... को भाजा गया

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व निगरानी

विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर उमरिया जिला–उमरिया म0प्र0 बसिलसिले राजस्व प्र0क0– 72/स्वमेव निगरानी/2011–12 आदेश दिनांक 29.05.2014 एवं तहसीलदार मानपुर का आदेश राजस्व प्र0क्र0– 29/अ–19(4)/1998–99 दिनांक 05.012.98 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0

मामले का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ निगरानी न्यायालय में उत्तरवादी क्र. 1 के नाम खसरा वर्ष 1998–99 राजस्व प्र0क्र0– 29/अ19(4)/1998–99 आदेश दिनांक 05.12.1998 का उल्लेख कर जरिए व्यवस्थापन हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया है जिसकी कोई जानकारी निगरानीकर्ता को माह सितम्बर सन् 2011 के पूर्व नही हो पाई क्योंकि संबंधित प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मानपुर के यहां कभी चला ही नही और न ही इस प्रकरण में इश्तहार का प्रकाशन ही किया गया जिससे निगरानीकर्ता द्वारा अपनी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई । वाद आराजी खसरा नं. 1176 रकवा 1.26 एकड़, स्थित ग्राम नवगवां तहसील मानपुर जिला–उमरिया (म0प्र0) निगरानीकर्ता के पिता व बाबा के समय से कब्जा दखल में चली आ रही है जिस पर मकान कुंआ भी निगरानीकर्ता का निर्मित है इस आराजी पर उत्तरवादी का कभी भी कब्जा दखल न तो पूर्व में था और न ही वर्तमान मे है, यही नही उत्तरवादी क्र. 1 के पति उमाशंकर पटेल जो कि तहसील मानपुर में ही अधिवक्ता है तथा ग्राम पंचायत नवगवां के सरपंच भी है जिनका काफी दबाव व प्रभाव है इसीकारण उत्तरवादी के पति उमाशंकर पटेल द्वारा राजस्व अभिलेखो में फर्जी प्रविष्ट नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित कराई गई। सन् 1977–78 में निगरानीकर्ता के पिता का कब्जा दखल वाद आराजी पर होने से राजस्व खसरा में कब्जे की प्रविष्ट की गई है इसके अलावा सन् 1988–89 में निगरानीकर्ता के कब्जा की प्रविष्ट अंकित है खसरा 1994–95 से 96–97 तक किसी सुरेन्द्र पिता पूरन का नाम लिखा गया है वर्ष 1997–98 में 05202 हे. पर उत्तरवादी क्र. 1 का नाम लेख कराते हुए सन् 1998–99 में एक वर्ष के कब्जा के आधार पर अवैध व्यवस्थापन आदेश दिया गया है ।

उत्तरवादी क्र. 1 की उम्र वर्तमान में लगभग 36–37 वर्ष है लेकिन उसका पति उमाशंकर पटेल जो कि पेशे से वकालत करते है तथा ग्राम पंचायत नवगवां के सरपंच है के द्वारा सन् 1979–80 में जिला अभिलेखागार मे जमा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

जिला उमरिया

प्रकरण कमांक निगरानी 2573–दो/2014

जनपद प्रसाद बैगा विरूद्ध संगीताबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–2–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर उमरिया के प्रकरण कमांक 72/स्व0निग0/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर कलेक्टर के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार मानपुर के प्रकरण कमांक 29/अ–19(4)98–99 में पारित आदेश दिनांक 5–12–98 से परिवेदित होकर 14 वर्षों के पश्चात आवेदन अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें मूल आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई और न ही संहिता की 48 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपत्ति प्रस्तुत करने पर अपर कलेक्टर ने धारा 5 का शपथपत्र से समर्थित आवेदन तथा धारा 48 के आवेदन के अभाव में प्रस्तुत निगरानी आवेदन निरस्त किया। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक दृष्टि से प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है। अतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	